

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल - dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट - www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/सड़क निर्माण/19/ 94766 दिनांक :- 23.10.19

स्वीकृति आदेश

विभागीय समसंख्यक स्वीकृति आदेश क्रमांक 74344-356 दिनांक 14.09.2018 द्वारा मुख्यमंत्री महोदय की वजट घोषणा वर्ष 2017-18 (RUIRP-I) के कार्यों के क्रियाचिन्ति के क्रम में नगर परिषद, श्रीगंगानगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों हेतु राशि रु. 20.00 करोड़ की लागत से कार्य करवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। जिसमें कार्य की क्रियाचिन्ति हेतु कार्यकारी एजेन्सी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को नियुक्त किया गया था। इसके उपरान्त विभागीय समसंख्यक स्वीकृति आदेश क्रमांक 76665-681 दिनांक 01.10.2018 द्वारा कार्य की कार्यकारी एजेन्सी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड श्रीगंगानगर को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया था।

उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये कार्यों में परिवर्तन होने के कारण पूर्व स्वीकृति क्रमांक 74344-356 दिनांक 14.09.2018 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को अतिक्रमित करते हुये जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 10741 दिनांक 21.10.2019 द्वारा कुल राशि रु. 1021.70 लाख के 13 कार्यों हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्तावानुसार कार्यों को क्रियाचिन्तित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि :-

1. राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिस हेतु राशि जारी की गई है।
2. इस राशि के व्यय में RTPP Act 2012/ Rules 2013 संबंधित वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाये।
3. कार्यों की गुणवत्ता व अन्य मापदण्डों के क्रम में विभाग द्वारा (RUIRP-I) के अन्तर्गत जारी किये गये अन्य दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

(डॉ. प्रवीण कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ सड़क निर्माण/19/ 94767-780

दिनांक :- 23.10.19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को उनके पत्र क्रमांक 10741 दिनांक 21.10.2019 के क्रम में प्रेषित कर निवेदन है कि PWD के माध्यम से कार्यों की निविदाये जारी करवाकर कार्यों को अविलम्ब सम्पन्न करावे।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. कार्यकारी निदेशक, रूडसिकों, लालकोटी स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है की नगर परिषद, श्रीगंगानगर को RUIRP-I के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई कुल राशि में इस स्वीकृति में वर्णितानुसार राशि रु. 1021.70 लाख को समायोजित करते हुये शेष राशि ही नगर परिषद, श्रीगंगानगर को उपलब्ध करवाने की सुनिश्चितता करें।
7. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त बीकानेर।
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
10. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय।
11. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड कार्यालय श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 10741 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्रेषित कार्यों के प्रस्तावानुसार निविदाये अविलम्ब आमंत्रित कर कार्यों को क्रियाचिन्तित करना सुनिश्चित करें।
13. प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता